यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) द्वितीय, राज्य कर हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) द्वितीय, राज्य कर हरिद्वार के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि भूषण वरि. लेखापरीक्षक, श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.09.2018 से 20.09.2018 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षक अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.01.2018 से 27.01.2018 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	14053.52
2016-17	16782.76
2017-18	5389.27(VAT)

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	आवंटित बजट राशि (₹)		व्यय राशि (₹)		अवशेष/समर्पण (₹)	
	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत
2015-16	5,47,96,000	50,00,000	50352124	50,00,000	44,43,876	-
2016-17	7,00,13,000	-	6,52,43,589		47,69,411	-
2017-18	8,70,57,000	-	8,39,54,833		31,02,167	-
42- अन्य व्यय (वैट के अन्तर्गत वापसी) वर्ष 17-18	9,45,00,000	-	9,41,98,204		3,01,796	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कर निर्धारण** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) द्वितीय, राज्य कर हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: - 03/2018, 06/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(अ)

प्रस्तर स-01 कर का न्यूनारोपण ₹ 83.50लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(b)(i)(d) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी अनुसुची में सम्मिलित माल से भिन्न माल की बिक्री पर करदेयता 13.5% की दर से निर्धारित की गयी थी|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) **–II** राज्य कर,हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री जीनस फ़ूड प्राइवेट लिमिटेड हरिद्वार कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के वाद में व्यापारी का कर निर्धारण किया गया था| व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में प्लास्टिक बोतल, हर्बल शैम्पू की बिक्री ₹ **9,82,39,505**/- की प्रदर्शित करते हुए उस पर 5% की दर से कर देयता स्वीकार की गई थी| जबकि उक्त वस्तु उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं थी अत: उक्त की बिक्री पर अन्तरीय कर दर 8.5 % से ₹ 83,50,358/- के कर का न्यूनारोपण हुआ था|

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया की विक्रय की गई वस्तु **Packing Material** है तथा प्रत्येक प्रकार के **Packing Material** पर 5% की दर से कर देयता है| विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त व्यापारी द्वारा हर्बल शैम्पू की बिक्री की गयी थी जो की उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसुची से आछादित नहीं थी|

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर संख्या-1 आई0टी0सी0 रिवर्स न किये जाने से राजस्व क्षति ₹ 30.12 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6(2) में यह प्रावधान किया गया है कि इनपुट टैक्स का लाभ जिसके लिये पंजीकृत व्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनराशि होगी जो कर अवधि के दौरान, ऐसे प्रयोजन हेतु और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जैसी कि इस धारा मे विनिर्दिष्ट है किये गये क्रय के क्रय धन पर पंजीकृत व्यौहारी द्वारा विक्रेता व्यौहारी को भुगतान किया गया है और जिसकी गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसी की विहित हो जाए।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) **–II** राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया किव्यापारी सर्वश्री एसo एसo आरo इंटरनेशनल, हरिद्वार कर निर्धारण वर्ष 2014-15 द्वारा संगत वर्ष में ₹ **3,54,43,980/-** की पीसीबी का क्रय 13.5% की दर से किया गया था जिस पर व्यापारी द्वारा ₹ 47,84,932/- के ITC का दावा किया गया था जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमन्य किया गया था| क्योंकि उक्त वस्तु PCB (**Printed Circuit Board)** उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची II(B) से आछादित थी अत: उक्त वस्तु पर अन्तरीय कर दर 8.5% से ₹ 30,12,738/- की ITC रिवर्स योग्य है|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि उक्त वस्तु पर 13.5% की दर से करारोपण किया गया है अत: ITC 13.5% से लिया गया है विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उक्त वस्तु उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची II(B) से आछादित है|

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है|

भाग 2(ख)

प्रस्तर स-02 **अर्थदण्ड का अनारोपन ₹** 1.86 **लाख**|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत किसी व्योवाहरी ने युक्ति – युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो का दायी होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) **–II** राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि **01** व्यापारी द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि **₹ 18,64,300**/- को विलंब से जमा किया गया था|

(विवरण संलग्न)

अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम 10% की दर से नियामानुसार **₹1,86,430**/- का अर्थदण्ड अरोपणीय था जो नहीं किया गया था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरांत नियमानुसार कार्यवाही कर सूचित कर लेखापरीक्षा को अवगत कराने का आशवाशन दिया गया|

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जता है|

क्र स.	**व्यापारी का नाम / टिन स.**	**कर निर्धारण वर्ष**	**माह**	**कर जमा करने की निर्धारित तिथि**	**कर जमा करने की वास्तविक तिथि**	**कर की धनराशि (₹ में)**	**न्यूनतमआरोपणीय अर्थदण्ड (कर का 10%) (₹ में)**
1.	**सर्वश्री सुहानी आर० ऍम० सी० एंड स्ट्रक्चर, हरिद्वार टिन :** 05010626084	**2015-16**	04/2015	20.05.2015	27.05.2015	200000	20000
			05/2015	20.06.2015	29.06.2015	205000	20500
			07/2015	20.08.2015	25.08.2015	247550	24755
			08/2015	20.09.2015	26.09.2015	275750	27575
			10/2015	20.11.2015	25.11.2015	301500	30150
			11/2015	20.12.2015	27.12.2015	307000	30700
			01/2016	20.02.2016	25.02.2016	327500	32750
Total						1864300	186430

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
7/2006-07	-	1,2,3,4,5	
20/2008-09	-	01	
26/2010-2011	-	03	
06/2013-14	-	02	
38/2014-15	02	01,03	
06/2015-16	01	01,02,03	
39/2017-18	01	01,02,03	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) द्वितीय, राज्य कर हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री रोशन लाल	उपायुक्त(क.नि.)-II रा.क. हरिद्वार

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) द्वितीय, राज्य कर हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र